न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 15/2019

प्रार्थी

दरजाराम पुत्र हरजीराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जी, जाति– पुरोहित, निवासी– मनादर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री सुर्यवीर सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 2 (गंगादेवी) की ओर से

–ः निर्णय ः–

दिनांक 28 जून, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जी पुरोहित, निवासी– मनादर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1323 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 65 दिनांक 05.9.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्यवीरसिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 (गंगादेवी) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये, जिन्होनें अप्रार्थी संख्या–2 (गंगादेवी) की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री परमार ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व मालकी एवं पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड ग्राम मनादर के चौधरीवास में आया हुआ है जिसका नाप 36x60 कुल 2160 वर्गफीट है जिसके उत्तर दिशा की तरफ उक्त भूखण्ड़ का आधा भाग 18 फीट व पूर्व–पश्चिम दिशा 60 फीट कुल 1080 वर्गफीट को आज से करीब 50 वर्ष पूर्व खंगारजी सुथार को बेचान कर दिया था जिस पर उनका पुत्र नारायणलाल वर्तमान में निवासरत है और भूखण्ड़ का आधा भाग 18x60 कुल 1080 वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे में है जिस पर कोई निर्माण नही होकर बाड की हुई है एवं मौके पर प्रार्थी के कब्जे में है जिस पर प्रार्थी बतौर मालिक काबिज है। प्रार्थी द्वारा अपने पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व के उक्त भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य करने हेतु ग्राम पंचायत, मनादर से निर्माण स्वीकृति मांगी, तब प्रार्थी को यह जानकारी हुई कि प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे मालकी के उक्त भूखण्ड़ का प्रार्थी व अडौस–पडौस की जानकारी के बिना ही ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। यह कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, मनादर में उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी [illegible] किया, लेकिन ग्राम पंचायत ने कोई

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही नही की। यह कि उक्त भूखण्ड़ के पश्चिम में आम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी अपने उक्त भूखण्ड़ में आने जाने के लिये कदीम से करता आ रहा है। यह कि कि ग्राम पंचायत, मनादर ने प्रार्थी के कब्जेशुदा भूखण्ड़ जो मौके पर खाली पड़ा है का नियम विरुद्ध अप्रार्थी गंगादेवी के पक्ष में उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है, जबकि अप्रार्थी गंगादेवी के पति का ग्राम मनादर में अन्यत्र स्थान पर आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें वह अपने पति के साथ निवास करती है। ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी के पक्ष में जिस भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्ड़ पर अप्रार्थी गंगादेवी या उसके पति का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही मौके पर मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत, मनादर ने अप्रार्थी गंगादेवी के पक्ष में नियम 157(1) के तहत गलत रुप से खाली भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (गंगादेवी) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 65 दिनांक 05.9.2016 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (गंगादेवी) के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अप्रार्थी गंगादेवी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त पट्टेशुदा सम्पति अप्रार्थी गंगादेवी के कब्जे मालकी की है जिस पर अप्रार्थी गंगादेवी का अपने ससुर के समय से पुराना आवासीय मकान बना हुआ है एवं अप्रार्थी गंगादेवी अपने ससुर के समय से उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ का उपयोग व उपभोग कर रही है, जिसका ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी के पक्ष में नियमानुसार पुराने गृह का नियमन करते हुए पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी गंगादेवी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा है, बल्कि मौके पर उक्त पट्टा संख्या 65 की भूमि पर अप्रार्थी गंगादेवी का अपने ससुर के समय से पुराना कब्जा एवं आवास है तथा आज भी अप्रार्थी गंगादेवी लगातार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। अप्रार्थी संख्या–2 का आवासीय मकान का दरवाजा, खिडकी आदि इसी सम्पति में खुले हुए है जिसके उत्तर में मुख्य दरवाजा, रास्ता व नारायणलाल सुथार का मकान है जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 का लोहे का गेट लगा हुआ है, दक्षिण दिशा में सत्यनारायण का मकान है जिसकी चार दिवारी अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा बनाई हुई है। सत्यनारायण जी के पट्टा के पडौस में अप्रार्थी संख्या–2 की सम्पति है। प्रार्थी का कोई आवास या भूखण्ड़ मौके पर नही है एवं न ही प्रार्थी का कब्जा है तथा न ही उक्त सम्पति में प्रार्थी का कोई हक अधिकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–2 को हैरान परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। विवादित सम्पति भूखण्ड़ नही होकर आवासीय मकान है जो अप्रार्थी संख्या–2 के मालकी कब्जे का है। उक्त आवासीय मकान का ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमन करत हुए पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता के कथनों की ताईद करते हुए प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जी, जाति– पुरोहित, निवासी– मनादर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1323 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 65 दिनांक 05.9.2016 को जारी किया गया है। "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की है।''

इस संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ''प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड़ के मौके पर आवासीय गृह/मकान निर्मित नही होकर मौके पर भूखण्ड़ खुला (open Land) है व कांटो की बाड़ की हुई है।'' अप्रार्थी संख्या–2 (गंगादेवी) की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् में भी प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड़ के मौके पर आवासीय गृह/मकान निर्मित नही होकर मौके पर खुला भूखण्ड़ (open Land) प्रतीत हो रहा है, जिसके एक दिशा की तरफ लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। इस प्रकार, उक्त फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जी पुरोहित, निवासी– मनादर के पक्ष में जिस भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्ड़ के मौके पर आवासीय मकान/गृह निर्मित नही होकर मौके पर खुला भूखण्ड़ (open Land) है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत खाली व खुले भूखण्ड़ (open Land) का पट्टा जारी नही किया जा सकता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मनादर द्वारा अप्रार्थी गंगादेवी पत्नी भंवरलाल जी पुरोहित, निवासी– मनादर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1323 वर्गफीट भूखण्ड़ का जारी पट्टा संख्या 65 दिनांक 05.9.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, मनादर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड़ के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 जून, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:02 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)